119

संख्याः 862/XII/2011/83(04)/2010

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज एवं ग्रा0 अभि0से0अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 16 नवम्बर, 2011

विषयः– मा0 उपाध्यक्ष, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग अनुश्रवण परिषद हेतु वित्तीय वर्ष 2011–2012 हेतु आयोजनागत के अन्तर्गत आय–व्ययक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या 1293/ग्रा0अ0से0/लेखा–दो–01/13–बजट/2011–12 दिनांक 19 अक्टूबर, 2011, शासनादेश संख्या 209/XXVII (1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011, 634/XII/2011/83(04)/2011–TC, दिनांक 22 जुलाई, 2011, शासनादेश संख्या :701/XII/2011/83(04)/2011–TC, दिनांक 25 अगस्त, 2011, एवं शासनादेश संख्या 584/XXVII (1)/2011 दिनांक 27 अक्टूबर, 2011, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुश्रवण परिषद उत्तराखण्ड देहरादून के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के आयोजनागत पक्ष की अवचनबद्ध मानक मदों यथा यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, टेलीफोन पर व्यय, व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान एवं कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय मदो के आवश्यक व्ययों के तृतीय त्रैमास के भुगतान हेतु प्राविधानिक धनराशि कुल **रुपये 2,00,000.00 (रुपये दो लाख मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्य पाल महोदय निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्रं0	लेखाशीर्षक	धनराशि (हजार रुपये में)	
	2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम– आयोजनागत 800– अन्य व्यय 09– ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुश्रवण परिषद की स्थापना	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2011–12	
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1.	04– यात्रा व्यय	13	–
2.	08– कार्यालय व्यय	15	–
3.	11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	7	–
4.	12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25	
5.	13– टैलीफोन पर व्यय	10	–

6.	16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	125	–
7.	47– कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5	–
	योग–	200	–

रु0 2,00,000.00 (रुपये दो लाख मात्र)

2. शासनादेश की शेष शर्ते एवं व्यवस्था यथावत् रहेंगी।

3. निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का ससमय उपयोग करते हुए अप्रयुक्त अवशेष धनराशि को दिनॉक 31–3–2012 के उपरान्त समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।तथा एक मद की धनराशि दूसरी मद में कदापि व्यय न की जाय।

4. इस सम्बन्ध में होने वाली व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अधीन आयोजनागत पक्ष की अनुदान सख्या–19 के तहत उक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम –800– अन्य व्यय–09– ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुश्रवण परिषद की स्थापना की मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 209/XXVII (1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्याः (1)/XII/2011/83(04)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
2– महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर, रोड़, माजरा, देहरादून।
3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड देहरादून।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।
7– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8– निजी सचिव, मा0 मंत्री, मा0 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

9– निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
12– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
13– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(आर0 पी0 फुलोरिया)
संयुक्त सचिव